दिनांक 23.10.2017 को कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बामेती, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि अक्टूबर माह समाप्त होने वला है लेकिन अभी तक कृषि विभाग द्वारा कुल उद्व्यय के विरूद्ध मात्र 6 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। शेष छः माह में शेष 94 प्रतिशत राशि खर्च करनी है। इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि स्वीकृति आदेश एवं कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार वित्तीय लक्ष्य को ससमय पूरा किया जाय। वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में पूर्ण सावधानी बरती जाय। लक्ष्य के अनुसार लगातार अनुश्रवण की जाय। सभी योजनाओं में डी0बी0टी0 लागू है। जहाँ भी वित्तीय अनियमितता पाई जाएगी या जाँच में प्रमाणित होगा वहाँ कठोर कार्रवाई की जायेगी। अगले वर्ष योजनाओं का सरलीकरण करने की कार्रवाई की जायेगी तथा कृषकों की जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिकों की मदद से योजना तैयार की जायेगी।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों का तीन श्रेणियों में समीक्षा की जाय। वित्तीय लक्ष्य का 50 प्रतिशत से ज्यादा उपलब्धि करने वाले जिलों, 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक उपलब्धि करने वाले जिलों एवं 25 प्रतिशत से कम उपलब्धि करने वाले जिलों का अलग–अलग समीक्षा की जाय। 25 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनु0–सभी योजना के नोडल पदाधिकारी)

2. कृषि यांत्रिकीकरण :–

2.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया जिला में प्राप्त 1550 ऑनलाईन आवेदनों में 1044 आवेदन कृषि समन्वयक के पास तथा 292 आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास सत्यापन हेतु लंबित है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने तथा शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया)

2.2 समीक्षा के क्रम में संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया को संबंधित जिलों के कृषि पदाधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक बुलाकर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन के सत्यापन कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया)

2.3 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त पूर्ण ऑनलाईन आवेदनों की सं0 36837 है, जिसमें से 22991 आवेदन कृषि समन्वयक द्वारा सत्यापन हेतु लंबित है। इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कृषि समन्वयक के स्थान पर किसान सलाहकारों से लंबित आवेदनों का सत्यापन एक सप्ताह के अंदर कराना सुनिश्चित किया जाय। इसमें विलंबित करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.4 कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालन एवं रख–रखाव हेतु दिनांक 01–05 नवम्बर 2017 को सी0आई0ए0ई0, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जिलों से 31 प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्राप्त है। सभी संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में भेजने का आदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.5 ओ0एफ0एम0ए0एस0 में भारत सरकार द्वारा लागू L.G Director Code में अंकित ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद्/वार्ड/ग्राम की सूची अंकित है, परन्तु कई जिलों में पूर्व से OFMAS में अंकित सूची उससे भिन्न है। इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने जिला के पंचायती राज्य पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर L.G Directory में सही प्रविष्टि कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.6 वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक राज्य में वितरित पावर टीलरों की माँग भारत सरकार द्वारा की गयी है। इस संबंध में सभी जिलों को लगातार पत्राचार करने के बावजूद अररिया, अरवल, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कटिहार, मधुबनी, नालन्दा, नवादा, प0 चम्पारण, पूर्णियॉ, सहरसा, सारण एवं सुपौल जिले से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जबकि मधेपुरा, पटना, सीतामढ़ी एवं रोहतास जिले से अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त है। इस संबंध में सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को पावर टीलरों का पूर्ण वांछित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.7 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2015–16 के कृषि शक्ति की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन में कैमूर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई एवं सुपौल जिले में पावर टिलरों की संख्या वर्ष 2014–15 की तुलना में कम दर्शायी गई है। सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उक्त तथ्यों की जॉच कर शीघ्र सही प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.8 कृषि यांत्रिकीकरण योजना के प्रति कृषकों की अभिरूचि बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों में कृषि यांत्रिकीकरण मेला के आयोजन के एक सप्ताह पूर्व ही स्वीकृति पत्र ~~की हार्ड कॉपी~~ सम्बंधित कृषक को उपलब्ध कराने का निदेश कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.9 समीक्षा के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किसानों को अनुदान भुगतान में विलम्ब के कारण, किस स्तर पर विलम्ब हुआ तथा विलम्ब से अनुदान की राशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित करने वाले बैंकों के सम्बंध में रिपोर्ट देने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.10 खतरनाक मशीन (पावर चैफ कटर एवं पावर थ्रेसर) के विक्रय हेतु इच्छुक डीलरों के लाइसेंस से सम्बंधित संचिका को शीघ्र निष्पादन करने का निदेश संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) मीठापुर, पटना को दिया गया।

(अनु0–संयुक्त निदेशक(कृषि अभियंत्रण))

2.11 समीक्षोपरान्त प्रधान सचिव महोदय द्वारा प्राप्त आवंटन एवं वितरण आदि का विवरण Google.docs पर अपडेट करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

2.12 SMAM योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत एवं वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित कस्टम हायरिंग योजना का अद्यतन प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक सप्ताह के अंदर भेजने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

(अनु0–कंडिका 2.11 एवं 2.12 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–</u>

3.1 प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 132.30 करोड रू0 स्वीकृत की गई है जिसमें से प्रथम किस्त 76.29 करोड रू0 का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। पूर्व वर्ष के अवशेष राशि 39.76 करोड़ रू0 के विरूद्ध 15.82 करोड़ रू0 का कार्य जिलों में हुआ है। इस राशि को अविलम्ब समायोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध है उसमें से 27 प्रतिशत राशि का कार्य हुआ है। शेष 23 प्रतिशत राशि को बोरोधान/गरमा धान में व्यय करने का निदेश दिया गया। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, मधुबनी एवं दरभंगा में 25 प्रतिशत से कम हुई है।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोर्स सिरीयल योजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध है। इसमें से अभी तक 35 प्रतिशत राशि का कार्य हुआ है। शेष राशि को रब्बी/गरमा में खर्च करने का निदेश दिया गया। हाईब्रीड मक्का बीज वितरण रब्बी एवं गरमा में करने का निदेश दिया गया। इस योजना अन्तर्गत सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया एवं कटिहार की उपलब्धि शून्य है तथा पूर्णिया एवं वैशाली की उपलबि 25 प्रतिशत से कम है।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन योजना अन्तर्गत 69 प्रतिशत राशि उपलब्ध है इसमें अभी तक मात्र 2 प्रतिशत राशि का कार्य उपलब्धि खरीफ, 2017 में हुआ है।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.5 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 का केन्द्रांश मद का बैंक खाता में उपलब्ध अवशेष एवं अव्यवहृत राशि को चालू वर्ष की योजना कार्यान्वयन में अविलम्ब व्यय करने का निदेश दिया गया।

3.6 सभी योजना अन्तर्गत राशि व्यय कर अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0 द्वारा बताया गया कि 50 प्रतिशत उपलब्धि होने के बाद ही भारत सरकार द्वारा दूसरे किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को लक्ष्य का 50 प्रतिशत उपलब्धि अविलम्ब प्राप्त कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

3.7 वित्तीय वर्ष 2016–17 का अव्यवहृत एवं अवशेष राशि का प्रतिवेदन कई जिलों में अब तक अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3.8 सूचित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अन्तर्गत अतिरिक्त दलहन आच्छादन कार्यक्रम 16.79 करोड़ रू0 का स्वीकृत हो रहा है। लक्ष्य सभी जिलों को पूर्व में ही भेज दिया गया है। इसे रब्बी एवं गरमा में कार्यान्वित किया जाना है। बीज की व्यवस्था अभी से कर लेने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 3.5 से 3.8–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.9 टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (TRFA) इन इस्टर्न इंडिया फॉर पल्सेज (दलहन) वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0 द्वारा बताया गया कि परती जमीन में अधिक नमी रहने के कारण तथा नमी के अभाव में दोनों ही स्थिति में धान का खेत परती रह जाता है। ऐसे परती खेत वाले क्षेत्र का पहचान कर कटिहार, गया, बांका एवं औरंगाबाद जिला को सौ–सौ गाँव का चयन करना है। यह कार्यक्रम लगातार तीन साल चल चलेगा। गाँव का चयन कर गाँव की सूची अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया। इसे भारत सरकार को भेजना है।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.10 सभी कार्यक्रम अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण, जिप्सम/सल्फर आधारित अन्य उर्वरक वितरण, जैव उर्वरक वितरण, पौधा संरक्षण रसायन वितरण एवं खरपतवारनाशी वितरण की उपलब्धि करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)